न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
165/2025	06/06/2025	16/09/2025

1. रामजीलाल पुत्र गोविन्दराम जाति जोगी निवासी ग्राम नायला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राज0।

वादी

बनाम

राज सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राज0।

कजोडमल पुत्र प्रभूनारायण जाति जोगी निवासी ग्राम नायला तहसील जवमारामगढ जिला जयपुर राज0।

भगवाननाथ पुत्र गोकूलनाथ जाति जोगी निवासी ग्राम नायला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राज0।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री गौरव शर्मा :– वकील वादी।

दावा बाबत इन्द्राज दुरूस्त एवं घोषणा अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट

–: निर्णयः–

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गौरव शर्मा ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादी इस कथन के साथ पेश किया कि वादीगण की वादग्रस्त खातेदारी भूमि नवीन खाता सं0 73 ख0न0 13, 14 कुल किता 2 कुल रकबा 4.5401है0 में हिस्सा 1/16 भूमि वाकै ग्राम नायला पटवार हल्का नायला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राज0 मे स्थित है। जो कि वादी के नाम दर्ज है जिस पर वादी अपने हिस्से पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। उक्त भूमि वादी की विरासती भूमि है। जिसमें विरासती नामा0 खोलते समय वादी का नाम छोटया पुत्र गोविन्दा जाति जोगी दर्ज कर दिया गया है जबकि वादी का शुद्व व वास्तविक नाम रामजीलाल पुत्र गोविन्दराम जाति जोगी है। उक्त वर्णित भूमि की वर्तमान जमाबन्दी नवीन खाता सं0 73 खसरा नम्बर 13, 14 कुल किता 2 कुल रकबा 4.5401 है0 में हिस्सा 1/16 भूमि में वादी का नाम छोटया पुत्र गोविन्दा जाति जोगी चला आ रहा है। जबकि वादी का शुद्व व वास्तविक नाम रामजीलाल पुत्र गोविन्दराम जाति जोगी हैं। समस्त दस्तावेज आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड आदि में भी अंकित है। अतः राजस्व रिकार्ड वर्तमान जमाबन्दी मे नाम छोटया पुत्र गोविन्दा जाति जोगी के स्थान पर वादी का शुद्व व वास्तविक नाम रामजीलाल पुत्र गोविन्दराम जाति जोगी घोषित करवाने के लिये वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर वादांकित भूमि के राजस्व रिकार्ड में छोटया पुत्र गोविन्दा जाति जागी के स्थान पर रामजीलाल पुत्र गोविन्दराम जाति जोगी निवासी नायला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राज0 किये जाने के आदेश किया जावें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण को तलबी जरिये रजि0 ए0डी0 से करवाई जाने की समग्र सूचना होने के बावजूद भी प्रतिवादी सं0 2 व 3 उपस्थित नही हुये। प्रतिवादीगणों को बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजा किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः प्रतिवादी सं0 2 व 3 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी सं0 1 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/भू0अ0/2025/6954 दिनांक 29.08.25 को रिपोर्ट/जवाब पेश कर अवगत कराया कि ग्राम नायला में स्थित वादांकित भूमि खाता सं0 73 के खसरा नम्बर 13, 14 रकबा 4.5401है0 में खातेदार छोटया पुत्र गोविन्दा हि0 1/16 जाति जोगी सा0देह राजस्व रिकार्ड दर्ज है। जबकि प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, इत्यादि में रामजीलाल पुत्र गोविन्दराम अंकित है।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला

Scanned with OKEN Scanner

अतः वकील वादीगण की बहस सुनने, पैरोकार सरकार की रिपोर्ट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधि0 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम नायला, पटवार हल्का नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर के वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर 13, 14 कुल के राजस्व रिकार्ड में अंकित छोटया पुत्र गोविन्दा स्थान पर छोटया उर्फ रामजीलाल पुत्र गोविन्दा उर्फ गोविन्दराम घोषित किया जाता है तथा उक्तानुसार अंकन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। तद्नुसार डिकी जारी हों।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो ।

निणय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 16.09.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इबताई

(ओ0 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर

1. रामजीलाल पुत्र गोविन्दराम जाति जोगी निवासी ग्राम नायला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राज0।

वादी

बनाम

राज सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राज0।
कजोडमल पुत्र प्रभूनारायण जाति जोगी निवासी ग्राम नायला तहसील जवमारामगढ जिला जयपुर राज0।

भगवाननाथ पुत्र गोकूलनाथ जाति जोगी निवासी ग्राम नायला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राज0।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्द्राज दुरूस्ती एवं घोषणा अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट

मु0 नं0 :- 165/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री ललित मीना आर0 ए0 एस0 हाजिरी श्री गौरव शर्मा एडवोकेट पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम नायला, पटवार हल्का नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर के वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर 13, 14 के राजस्व रिकार्ड में अंकित छोटया पुत्र गोविन्दा स्थान पर छोटया उर्फ रामजीलाल पुत्र गोविन्दा उर्फ गोविन्दराम घोषित किया जाता है तथा उक्तानुसार अंकन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें।

डिक्री दिनांक 16.09.2025 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत			स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील			महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बबतहजराय हुक्मनामा			बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

Scanned with OKEN Scanner